(2)

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

**अधिहरण अपील वाद सं0 02/18–19**

**शेख फिरोज ........................................................ अपीलकर्त्ता**

**बनाम**

**सरकार ........................................................ उत्तरकारी**

**।। आदेश ।।**

**19 /03/2021** यह अधिहरण वाद सं0 02/2018–19 शेख फिरोज बनाम् झारखंड सरकार के बीच प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0 23/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं है। फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तरकारी सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया।

मैनें अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता का पीकअप वाहन सं0 डब्लू.बी. 53ए.– 6166 में बागनल सुरक्षित वन के दाग सं0 682 से सेमल प्रजाति काष्ठ 14 वोटा अवैध परिवहन के क्रम में इसे थाना प्रभारी, मसानजोर द्वारा पकड़ा गया एवं निम्न न्यायालय में जप्तकर गाड़ी एवं उसमें लोर्ड लकड़ी को अधिहरण किया गया है। इसी के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता दिनांक 20.03.2020 से लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का इसमें कोई अभिरूचि नहीं है तथा उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।

19/3/2021

उपायुक्त,
दुमका।

19/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:26:58 +05:30
Location: 169.254.227.244